MR. DEPUTY-SPEAKER: Now I am not there.

SHRI SURAJ BHAN: Kindly see that the Department does not commit any impropriety.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Calling Attention—Mr. Harikesh Bahadur. Every day in the Calling Attention he is getting his name.

4.54 hrs.

CALLING ATENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Need to pay remunerative price to sugarcane growers, late cane-crushing by sugar mills and non-payment of price in time to cane growers

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री इस बारे में वक्तव्य दें :—

"गन्ना उत्पादकों को उनके गन्ने का लाभप्रद मूल्य दिलाने की आवश्यकता, चीनी मिलों द्वारा गन्ने की देर से पिराई और गन्ना उत्पादकों को समय पर गन्ने का मूल्य न दिये जाने के फलस्वरूप उन्हें देय भारी बकाया राशि जमा हो जाने तथा उनके लिए कठिनाई उत्पन्न हो जाने और इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही" की ओर खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री का ध्यान दिलाता हूं।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : आरम्भ में मैं माननीय सदस्यों का इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने का अवसर देने के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा। सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा करने, गन्ने का उत्पादन स्थिर स्तर तक बनाए रखने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन देने की आवश्यकता से पूरी तरह सजग है और उसने गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने की आवश्यकता को सदैव स्वीकार किया है ।

केन्द्रीय सरकार गन्ना उत्पादकों के हितों, चीनी के उत्पादन को स्थिर स्तर पर बनाये रखने की आवश्यकता और असंख्य उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर प्रत्येक वर्ष गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है । केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक न्यूनतम मूल्य केवल एक न्यूनतम मूल्य होता है । केन्द्रीय सरकार यह नहीं चाहती है कि गन्ना उत्पादकों को सप्लाई किए गए गन्ने का खासकर गन्ने के भरपूर उत्पादन के वर्ष में इससे कम मूल्य मिले । तथापि, गन्ना उत्पादकों को सामान्यतया वास्तव में जो मल्य दिया जाता है वह प्रत्येक वर्ष निर्धारित किए गए गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य से काफी अधिक होता है । चालू वर्ष में भी गन्ना उत्पादकों को गन्ने के घोषित सांविधिक न्यूनतम. मूल्य जोकि 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर 13 रुपये प्रति क्विंटल है, की अपेक्षा ऊंचा मूल्य मिल रहा है ।

केन्द्रीय सरकार ने 82-83 चीनी मौसम के लिए 15 नवम्बर, 1982 को नियत दिन घोषित किया है और कुल मिलाकर फैक्ट्रियों ने समय पर पिराई कार्य शुरु किया है । इसमें कोई अनुचित विलम्ब नहीं हुआ है जिससे केन्द्रीय/राज्य सरकारें उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करें ।

जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में गन्ने की पिराई का कार्य पूरे जोरों पर होने से गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का

[श्री भागवत झा आजाद]

बढ़ना लाज़मी है लेकिन गन्ना पिराई मौसम बीतने पर गन्ने के मूल्य की बकाया राशि तेजी से खत्म हो रही है गन्ने के मूल्य की देय राशि का भुगतान कराने और अन्य संबंधित मामलों पर राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जाती है। ऐसी अदायगियां कराने के लिए उनके पास आवश्यक संगठन और अधिकार हैं। केन्द्रीय सरकार स्थिति पर निगरानी रखती है और गन्ने के मूल्य के बकायों का शीघ्र भुगतान कराने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों को निदेश जारी करती है। क्योंकि 1981-82 के रिकार्ड उत्पादन वर्ष के बाद दूसरा भरपूर उत्पादन का वर्ष आया है, इसलिए मिलों को बहुत अधिक मात्रा में गन्ने की पिराई करनी पड़ेगी और कुछ हद तक गन्ने के मूल्य की बकाया राशि बढ़ भी सकती है। तथापि, राज्य सरकारों को गन्ने के मूल्य के बकायों का तुरन्त भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करने के लिए कहने के अलावा, केन्द्रिय सरकार अतिरिक्त बैंक उधार की व्यवस्था कर, खुली बिक्री की चीनी की निर्मुक्ति प्रकिया के माध्यम से खुले बाजार में मूल्यों पर निगरानी रखकर यह सुनिश्चित करने के लिए सभी पग उठा रही है कि मिलों की तरलता बनी रहे ताकि वे गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान कर सकें।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मान्यवर, माननीय मंत्री जी अभी बहुत जल्दी ही इस विभाग में आयें हैं, इसलिये मैं उनको बहुत कष्ट तो नहीं देना चाहूंगा।...

श्री भागवत झा आजाद : मैं बहुत कृतज्ञ हूं।

श्री हरिकेश बहादुर : लेकिन किसानों के सामने जो कष्ट है उसका विवरण जरूर उनके सामने रखना चाहता हूं। गन्ने की खेती करने वाले किसान इस समय तबाही की स्थिति में हैं। आम तौर पर तो सभी किसान वह चाहे कुछ भी उत्पादित करते हों तबाह हो रहे हैं क्योंकि कभी ओला पड़ता है तो कभी सूखा, कभी बाढ़ जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत खराब हो गई है, लेकिन जहां तक गन्ने का सवाल है गन्ने के किसान को एक तो लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है, दूसरे जो मूल्य मिलाना चाहिये वह समय से नहीं मिल पाता है, और पिछले वर्ष का बकाया भी तमाम किसानों का अभी काभी बाकी है। मेरा तो ज्यादा अनुमान था, लेकिन मंत्री जी बतायेंगे कि कितना बकाया है। मैं समझता हूं कि पिछले वर्ष का 60 करोड़ रु० बकाया है, लेकिन मंत्री जी स्पष्ट करेंगे पिछले वर्ष का कितना बकाया है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि बकाया पर सूद नहीं दिया जाता जब कि यह नियम है कि बकाया जो भी हो अगर 14 दिन से अधिक हो जाता है तो उस पर सूद दिया जाना चाहिये। साथ ही किसान जो अपना गुड़ बनाता है उसकी भी कीमत गिर गई है। और गन्ने की कीमत सरकार द्वारा जो निर्धारित की गई है वह इतनी है कि जो सूखी लकड़ी जलायी जाती है उससे भी कई गुना कम है।

15.00 hrs.

सूखी लकड़ी जलाने के लिये 40. 50 रुपये प्रति क्विंटल के दर से मिलती है और भारत सरकार गन्ने का मूल्य 17 रुपये 40 पैसे प्रति क्विंटल निर्धारित करती है।

मेरा कहना यह है कि अगर वर्तमान स्थिति बनी रहती है तो गन्ना किसानो को कम से कम 25 रुपये प्रति क्विंटल

के हिसाब से मूल्य दिया जाना चाहिये । अब तो हमारे उत्तर प्रदेश की स्थिति यह हो रही है कि सैंट्रल गवर्नमेंट ने गन्ने का दाम 17 रुपय 40 पैसे प्रति क्विंटल निश्चित किया है और प्रदेश सरकार ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 रुपये 50 पैसे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 21 रुपये 50 पैसे गन्ने का मूल्य प्रति क्विंटल दिया जायेगा । इसका नतीजा यह हुआ कि प्राइवेट सैक्टर की मिलों ने या शुगर कार्पोरेशन की मिलों ने भी कहा कि हम तो अब 17 रुपये 40 पैसे से ज्यादा दाम नहीं देगें और वह राज्य सरकार पर दबाव डालने लगे । यहां तक हुआ कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश की कुछ मिलों ने तो किसानों को 14 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मूल्य दिया । केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के मूल्य में इतना बड़ा जो अन्तर हो गया, इससे ऐसा लगा कि केन्द्रीय सरकार अपनी ही पार्टी की राज्य सरकार में विश्वास नहीं रखती, नहीं तो इस प्रकार का मूल्यों में अन्तर होने की कोई संभावना ही नहीं थी । लेकिन केन्द्रीय सरकार ने बहुत कम मूल्य निर्धारित किया जो कि 17 रुपये 40 पैसे था जब कि राज्य सरकार ने 20 रुपये 50 पैसे व 21 रुपये 50 पैसे रखा । इस प्रकार केन्द्रीय सरकार ने अपनी ही राज्य सरकार पर अविश्वास प्रकट किया ।

भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसकी रिपोर्ट अखबारों में पब्लिश हुई है । उस कमेटी का नाम है नरसिहमन कमेटी । उस कमेटी ने कहा है कि गन्ने का मूल्य कम किया जाना चाहिये । इसके लिये उसने तर्क भी दिया है । उनका कहना यह है कि अगर गन्ने का उत्पादन कम नहीं किया जाता है, किसान जो गन्ना उत्पन्न करते हैं, उनको अगर डिस्करेज नहीं किया जाता है तो गेहूं, धान, तिलहन और दालों का उत्पादन कम हो जायेगा । किसान पैसे के लिए अधिक गन्ना बोने लगेंगे जिससे इन चीजों का उत्पादन कम हो जायेगा । नतीजा यह होगा कि यह तमाम चीजें इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी ।

यह सुझाव देते समय उन्होंने अपने तर्क तो कुछ ऐसे दिये हैं, जिस पर सोचा समझा जा सकता है, लेकिन इस बात पर कतई ध्यान देने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी कि किसान आज महंगे रेट पर खाद वगैरह लेकर गन्ना पैदा करता है । जितने पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, सरकार ने उनकी कीमतों में 3 साल में 5 बार वृद्धि की है । डीज़ल के दाम अभी बढ़ा दिये गये हैं, इन्सैक्टीसाइड और पैस्टीसाइड्स की कीमतें काफी ऊपर चली गई हैं । बिजली जो सिचाई के काम में आती है, पानी जो नहरों से लिया जाता है उनकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं । कृषि के औजारों की कीमतें बढ़ी हैं । लेकिन कमेटी ने यह नहीं सोचा कि अगर हम इन चीजों की कीमतों को कम नहीं करते या गेहूं, धान, तिलहन और दालों की फसलों का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाते तो कैसे गन्ना का मूल्य कम देने से किसान का लाभ पहुंचा सकते हैं ।

अगर किसान को लाभ पहुंचाना है, साथ में उत्पादन बढ़ाना है तो कीमतों को ठीक करना होगा । पहली चीज यह होगी कि गेहूं, धान, दाल, तिलहन की फसलों की कीमतें बढ़ानी होगी, उनका समर्थन मूल्य बढ़ाना होगा ताकि किसान अपने को उत्साहित महसूस करे और इन चीजों का उत्पादन करे । अगर वह अपने को उत्साहित महसूस नहीं करता है तो इन चीजों का अधिक उत्पादन नहीं करेगा । अगर गन्ने का भी उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो वह तबाह हो जायेगा, जो कि स्थिति आज हमारे देश में पहले से ही है ।

[श्री झा हरिकेश बहादुर]

इस कमेटी ने यह कहा था कि हमें तमाम खाद्यान्न का आयात करना पड़ेगा जिससे कि हमारे पूरे देश के किसान और देश का चीनी उद्योग तबाह हो जायेगा । इसके लिए किसानों को इन्सेटिव देने की जरूरत है । दूसरी फसलों के बारे में भी उनको सुझाव देने चाहिए थे जो कि उन्होंने नहीं दिये ।

पिछले वर्ष 84 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ था और इस वर्ष भी 84 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ है । देश में एवरेज कंजंप्पशन 60 लाख टन के लगभग है । ऐसी हालत में अगर सरकार को बुवाई कम करवानी थी या गन्ने का ठीक मूल्य नहीं देना था तो किसानों को एक साल पहले ही बता देना चाहिए था कि अगले साल अधिक गन्ना मत बोइये । अगर आप अधिक गन्ना बोयेंगे तो हम आपके उत्पादन की कीमत नहीं दे सकेंगे । मगर सरकार ने यह भी नहीं किया । आज जब किसान ने अपना गन्ना बो दिया है, तो इस समय यह कहने का सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि हम उस की उचित कीमत नहीं देंगे ।

साथ ही जो चीनी मिलें हैं उन्होंने देर से पिराई शुरू की है । उत्तर प्रदेश में बहुत सी मिलें हैं और माननीय मंत्री जी के बिहार में भी ऐसी बहुत सी मिलें हैं जिन्होंने देर से पिराई शुरू की है, जिस के कारण आज भी किसानों के खेतों में गन्ना खड़ा है और इस बात की आशंका है कि कहीं इस साल भी गन्ना खेतों में जलाना न पड़े । मैं मंत्री जी से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा—वे इस समस्या को देखें और ऐसी व्यवस्था करें जिस से देर तक चीनी मिलों को चलाया जा सके, ताकि गन्ने को खेतों में न जलाना पड़े ।

चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया जाना बहुत आवश्यक है । आज चीनी मिलों का माडर्नाइज़ेशन नहीं हो पा रहा है ।, इस लिए उन की पिराई की क्षमता अधिक नहीं है । चीनी मिलों में आज जितने गन्ने की पिराई होनी चाहिए, उतनी पिराई वे नहीं कर पा रहे हैं, जिस के कारण किसानों के सामने संकट पैसा हो गया है ।

किसानों के बकाये की तरफ़ मैं विशेष रूप से आप का ध्यान खींचना चाहता हूं । इस साल यदि गन्ने के बकाये का भुगतान ठीक ढंग से नहीं हुआ तो यह बकाया 300 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है । मैंने अभी हाल में एक अखबार में देखा—अगर यह बकाया इसी रफ़्तार से बढ़ता रहा तो इस वर्ष के उत्पादन के काम की समाप्ति तक यह बकाया 500 करोड़ रुपये हो जायगा । लेकिन मेरा अनुमान है—500 करोड़ तो नहीं, लेकिन 300 करोड़ तो आवश्य हो जायगा, क्योंकि 160 करोड़ या शायद 175 करोड़ रुपया तो इसी समय बकाया है ।

किसानों को जिस समय बकाये का भुगतान किया जाता है तो उस के साथ उन को सूद नहीं दिया जाता है, जिस के लिए गवर्नमेंट का आर्डर पहले से ही है । शुगर-केन कण्ट्रोल आर्डर, 1966 में कहा गया है ——

"Where a producer of sugar or his agent fails to make payment for the sugarcane purchased within 14 days of the date of delivery, he shall pay interest on the amount due at the rate of 15 per cent per annum for the period of such delay beyond 14 days."

इस आर्डर में क्लियरली लिखा है, लेकिन कोई भी मिल-मालिक इस आदेश का पालन नहीं करता है तथा किसानों का जो बकाया

रहता है उस पर सूद नहीं दिया जाता । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से अपील करूंगा तथा यह मेरा प्रश्न भी है —क्या वह इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जब भी किसानों का बकाया वापस किया जाय, उन को सूद के साथ वापस किया जाय । आज तक जो प्रेक्टिस रहीं है उस में उन का बकाया सूद के साथ नहीं दिया जाता है । यह चीज खत्म होनी चाहिए, इस में किसानों का बहुत नुक्सान होता है ।

मज़दूरों का जो वेतन है वह भी कई महीनों तक बकाया रह जाता है । मिलें उन का वेतन समय से नहीं देतीं तथा यह भी उसी प्रकार बकाया रहता है जिस प्रकार किसानों का बकाया समय से नहीं मिलता है । इसलिए यह सुनिश्चित किया जाय कि मज़दूरों का वेतन हर महीने समय से मिला करें । अगर ऐसा नहीं होता है, तो मंत्री जी से मेरी मांग है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि मज़दूरों का वेतन अगर बकाया रह जाता है तो उन्हें भी सूद के साथ वेतन दिया जाय, जिस प्रकार किसानों को उन का बकाया सूद के साथ दिये जाने का नियम है ।

अब में अन्तिम सुझाव रखना चाहता हूं—हर साल किसानों के गन्ने के खतों का सर्वेक्षण नहीं होता है । मान लीजिये एक वर्ष किसी किसान ने 10 एकड़ में गन्ना बोया और दूसरे साल केवल दो एकड़ में ही बोया , तो दूसरे साल भी उसको 10 एकड़ की पर्ची मिल जाएगी । इसी तरह से अगर किसी किसान ने पहले साल 2 एकड़ में बोया है और दूसरे साल 10 एकड़ में बोया है तो दूसरे साल उस किसान को 10 एकड़ के बजाय 2 एकड़ की पर्ची मिलेगी । इस तरह से जो किसान 2 एकड़ के बजाय 10 एकड़ की पर्ची पा जाता है वह उसको ज्यादा पैदा करने वाले को ब्लैक में बेच देता है । इसलिये मेरा निवेदन है प्रतिवर्ष किसानों के खेतों का सर्वेक्षण किया जायगा, किसने कितना बोया है उसी के अनुसार उसको पर्ची दी जाए । क्या मंत्री जी इसके लिये राज्य सरकारों को निर्देश देंगें ?

अन्तिम सुझाव —शुगर केन रिसर्च इंस्टीचूट जगह-जगह खोले जाने चाहिये ताकि अगर कम क्षेत्र में गन्ना बोया जाय तो भी उससे अधिक से अधिक उत्पादन हो सके, क्योंकि उत्पादन अच्छा नहीं होता है तो हमें अधिक खेती गन्ना बोने में फसानी पड़ेगी, जिस का दूसरे खाद्यन्नों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा ।

इसलिए अच्छी किस्म का गन्ना बोया जाए, उसका उत्पादन अधिक हो, । इसके लिए आवश्यक है कि हमें जगह-जगह पर शुगर केन रिसर्च इन्स्टीचूट खोलने चाहिए और अच्छी किस्म के बीजों का उत्पादन करना चाहिए ।

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, इनका पहला प्रश्न है मिलों की तरफ किसानों का कितना पैसा बकाया है ? 1981–82 में 28 करोड़ 55 लाख 67 हजार रूपए बकाया थे । अभी 15 जनवरी 1983 तक 429 करोड 38 लाख 42 हजार रुपय की राशि देय थी । जिसमें उन्होंने 15 तारीख तक 276 करोड़ 52 लाख 53 हजार रूपए देदिया है और जो बाकी है, वह 152 करोड़ 85 लाख 89 हजार रुपए । जो कि टोटल का 35.6 प्रतिशत है । इसका एक कारण यह भी है कि जनवरी, फरवरी और मार्च में सबसे अधिक गन्ने की क्रशिंग होती है और गन्ने का प्रशर भी काफी होता है । इसलिए सब मिलें चाहती हैं कि अधिक से अधिक गन्ने की पिराई की जाए और किसानों की तरफ से गन्ना आ भी रहा है । इसलिए इस वक्त बकाया राशि काफी हो जाती है, लेकिन ज्यों-ज्यों सीजन समाप्त होने को आता है, त्यों-त्यों बकाया राशि कम होती जाती है । यह बात पिछले आकड़ों से प्रमाणित होती है ।

[श्री भगवत झा आजाद]

आपने एक बात यह भी कही कि गन्ने का मूल्य कम निश्चित हुआ है। यह बात सही नहीं है, इस वक्त इसका उल्टा है। कमीशन के अनुसार भी जो सरकार ने मूल्य निश्चित किया, उसके बाद राज्य सरकार ने निश्चित किया, उसी के अनुसार ही किसानों को लाभकारी मूल्य मिल रहा है। कठिनाई यह है कि यह बात जब आप केन-ग्रोअर्स के समर्थन में कहते हैं, तो मैं भी उनका समर्थन करता हूं। लेकिन एक बात आपको भी निश्चित रूप से विचार करनी होगी कि जब केन की प्राइस निश्चित की जाए जो सारे चीनी उद्योगों की इकानामिक वायाबिलिटी का प्रश्न भी आता है, लेकिन इस से अधिक हिन्दुस्तान के हजारों, लाखों और करोड़ों उपभोक्ताओं को चीनी उचित मूल्य पर मिलनी चाहिए। इसलिए कीमत को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रसिद्ध और प्रमुख फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही मूल्य निश्चित किया जाता है। अगर गन्ने की कीमत कम मिलती है तो आपको मालूम है कि 1978–79 में गन्ना जला दिया गया और चीनी बाजार में नहीं रही।

एक माननीय सदस्य : उस समय चीनी सस्ती थी।

श्री भगवत झा आजाद: क्या कह रहे है, चीनी सस्ती थी।

श्री हरिकेश बहादुर : उस वक्त चीनी 2.25 रु० किलो थी।

श्री भागवत झा आजाद : आपको मुबारक हो कि उस वक्त चीनी, 1978–79 में, सस्ती थी।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Harikesh Bahadur never belonged to Janata.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: No. Anyway, even if he belongs to other Parties.

किसी भी पार्टी में हो, बहुत रिजनेबल आदमी हैं।

इसलिए मैं कह रहा था कि अगर हमने कम कीमत को तो गन्ना जल जाएगा और अगर हमने बहुत अधिक कीमत की, जो हमारा मिनिमम प्राइस है और 8.5 पर रिकवरी लिंक है, तो इतना अधिक एरियसो हो जाएगा कि अगर मिल का वायबिलिटी क चैलेंज किया जाए तो वे नहीं कर पायेगें। इसलिए हमको बड़ा बैलेंस करके चलना पड़ता हैं। केन ग्रोअर्स, मिल्स और उपभोक्ता तीनों में तारतम्य स्थापित करना पड़ता है। यदि तारतम्य में कहीं कोई फक्टर इधर-उधर हो जाता है, तो मुसीबत हो जाती है। इसकी बहुत डिटेल प्रणाली है, जिसके अन्तर्गत कीमत ठीक होती है।

15.15 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*].

जो आपने कीमत की बात कही है, वह ठीक है, । उदाहरण के लिए आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में, ईस्ट यू० पी० में आपने बताया कि कीमत में फर्क है। फर्क है। हमने तो ईस्ट यू० पी में 16 रू० 10 पैसे प्रति क्विंटल तय किया, उसके ऊपर राज्य सरकार 20 रु० 50 पैसे देती है। सेन्ट्रल यू०पी में 17रु० 60पैसे वेस्ट यू पी में 18रु० 85 पसे हैं। यू पी स्टेट के केस में 21रु० 50 पैसे हैं। प्रश्न यह है कि जो कीमत हम दे रहे हैं, मिल वालों को, वह हमारी एडवान्स प्राइस है। वह रेशनल्ली बेस्ड है। इसलिए है कि जब सीजन समाप्त हो जाएगा उस समय में अधिक रिकवरी होने के बाद भार्गव फामुले के अन्तर्गत में 50–50 प्रतिशत बाटंने की बात है। इससे उत्तर प्रदेश और बिहार ने एक कीमत निश्चित कर दी, वह उनकी फाइनल कीमत है। जो कीमते उन्होंने सुनिश्चित की हैं और अधिक भी हैं उसी

का यह परिणाम हुआ है कि आज बहुत अधिक एरियर्स जमा हो रहे हैं ।

मैंने राज्य सरकारों से निवेदन किया है कि जिस तरह महाराष्ट्रा रजस्थान तमिलनाडु और केन्द्रीय सरकार एडवचे प्राइस देती है और उसको रिकवसिढ से लिंकड करती हैं, कृपया उत्तर प्रदेश और बिहार वाले बन्धु उसी आधारी पर चलें तो किसानों को कठिनाई नहीं होगी और एरियर्स भी नहीं रहेंगे । यह बातें अच्छी होंगी । मैं इस डिबेट के बाद भी उत्तर प्रदेश और बिहार से जहां बहुत अधिक उपज है और जहां एरियर्स भी सबसे कृधिक बाकी है, कहूंगा कि वे थोड़ा गुजरात को, महाराष्ट्र की, तमिलनाडु और केन्द्रीय सरकार की साइंटिफिक प्रणाली की व्यवस्था करें, इससे कल्याण की भी व्यवस्था होगी और एरियर्स भी नहीं रहेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप एक काम करेंगे कि लोग टर्म प्लानिंग का हिसाब करें कि किस तरह की कितनी खेती हो । यह नहीं रहने से किसान आगे नहीं करेंगे । यह आपके एग्रीकल्चरल विभाग को करना पड़ेगा ।

श्री भागवत झा आजाद : आपका सुझाव हमारे लिए मान्य है । इसके सम्बन्ध में हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं ? हम अधिक तो कुछ नहीं कर सकते हैं ।

लोंग टर्म पालिसी भी निर्धारित होती है, उसके बारे में मैंने बताया कि हम तीन प्रमुख बातों को ध्यान में रखते हैं । एक केन ग्रोअर्स के इन्ट्रेस्ट को, दूसरे वाएबिलटी आफ द मिल्स । केन्द्रीय सरकार ने जो मिलें ली हैं आठ हैं । पांच उत्तरप्रदेश में हैं और तीन और राज्यों में हैं । ये सारी सिक मिल, आऊट डेटिड मिल थीं । इनकी इकोनोमिक वाएबिलटी क्रश हो चुकी थी । हम उन मिलों को ऊपर लाये और कोशिश कर रहे हैं कि केन ग्रोअर्स को इनसे नुकसान न हो । इन मिलों के बंद होने से किसानों को नुकसान हो रहा था । उनको अब हम चलाए जा रहे हैं । जो प्राइस हम दे रहे हैं वे गुजरात महाराष्ट्र और तमिलनाडु की नाई दे रहे हैं जो सीजन के समाप्त होने के बाद भागर्व फामूले के अन्तर्गत लायेगा । लेकिन जो राज्य सरकारें कीमतें दे रही हैं, जैसा कि मैंने बताया कि हम मिनिमम स्टेच्युटरी प्राइस फिक्स करते हैं और उसको 8.5 परसेंट से लिंक करते हैं । अगर 8.5 परसेंट से 0.1 परसेंट बढ़ गया तो उसका किसान को कुछ ज्यादा पैसा मिल जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : आपकी कठिनाई हम समझते हैं । लेकिन उसके अन्तर्गत जैगरीज वाला, जो क्रशर्स के पास जाता है, उसको तो पूरा पैसा नहीं मिलता है । जिस हिसाब से आप मिल से दिलवा सकते हैं, उतना पैसा उससे नहीं मिलता । दोनों का सम्बन्ध बना कर चलें ।

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, उनके संबंध में हम कीमत निर्धारित नहीं करते हैं । राज्य सरकारों को यह अधिकार है, अगर वे चाहें तो वे मिनिमम प्राइस उन्हें दे सकती हैं । यह राज्य सरकार को अधिकार है, इसमें हम कुछ नहीं करते हैं । राज्य सरकार अगर यह सोचें कि कीमत कम मिल रही है, उससे कठिनाई होगी तो वे करें ।

यह बात सही है कि मिलों के पास लगभग 33 परसेंट गन्ना जाता है । बाकी

[श्री भागवत झा आजाद]

10–12 परसेंट अगर सीड के लिए रखा जाता है तो शेष उनके पास में जाता है। यह एक बहुत बड़ा सैक्टर है जो राज्य सरकारों के अन्तर्गत में है ।

आपने उत्पादन के संबंध में कहा । पिछले वर्ष उत्पादन 84 लाख टन चीनी का था । इस साल हम उम्मीद करते हैं 75 और 80 लाख के बीच में होगा ।

दूसरा आपने देर से शुरू करने का प्रश्न किया। पिछले साल इतना अधिक गन्ना हुआ कि हमको मिलों को काफ़ी देर तक चलाने के लिए कहना पड़ा जिससे कि सारा गन्ना आ जाए । इस वजह से जुलाई और मध्य अगस्त तक मिलों को चलना पड़ा । उसके बाद फिर शुरू करने के लिए उनको कम से कम दो-तीन महीने का समय तो ठीक करने के लिए चाहिए । इसलिए इस बार मिलों को शुरू करने की तारीख 15 नवम्बर रखी गई और कुछ मिलों में केवल 2 या 3 सप्ताह का बिलम्ब हुआ है । उससे कोई अधिक कठिनाई पैदा नहीं होती है । हम इस साल भी कोशिश करेंगे कि वह पूरा गन्ना समाप्त होने तक चलें । इसके लिए अगर उनको देर तक चलाने की आवश्यकता महसूस हुई तो उस पर भी हम विचार करेंगे ।

श्री हरिकेश बहादुर: बकाया के बारे में ?

श्री भागवत झा आजाद : बकाया के बारे में मैंने बताया है कि इसके तीन फैक्टर्स हैं । बकाया का देना दिलाना क्योंकि राज्य सरकारों के अन्तर्गत आता है इसलिए समय-समय पर हमने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं । हम तो मानेटरिंग करते हैं और बराबर निवेदन करते हैं । जब कीमतें तय होती हैं उस वक्त भी हम निवेदन करते हैं कि बकाया का खयाल रखिए । अब भी हम लोक सभा की भावना को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्रियों को लिखेंगे कि कृपा करके इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें और बकाया दूर करने की कोशिश करें । इस बारे में जितने जोश के साथ आपने यहां कहा है उतने ही जोश के साथ हम भी लिखेंगे ।

श्री हरिकेश बहादुर : सूद के साथ ?

श्री भागवत झा आजाद : इसके बारे में मैंने देखा है । अभी तक ऐसा नहीं हुआ है । यह बात सही है कि 14 दिन में देय है । इसके लिए भी हम राज्य सरकारों को लिखेंगे । लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई इस समय मूल की है सूद की बात तो बाद में आएगी । इसके लिए हम बराबर कोशिश कर रहे हैं ।

इसके अलावा मजदूरों के वेतन के बारे में कहा गया । इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों को लिखेंगे कि मजदूरों का बकाया अदा किया जाए ।

श्री हरिकेश बहादर : अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर में घुघली मिल है वहां हमेशा मजदूरों का बकाया रहता है . . . ।

श्री भागवत झा आजद : मैंने आपके सब प्रश्नों का जवाब दे दिया है ।

श्री हरिकेश बहादुर : मेरी कांस्टीट्वेंसी में घुघली मिल में हमेशा 6–7 और 8 महीने का मजदूरों का बकाया रहता है । हड़ताल भी होती है ।

अध्यक्ष महोदय : हमने आपकी कठिनाई को समझते हुए इस सवाल का जबाब देने के लिए कहा है । इससे गरीब आदमियों का भला होगा ।

श्री भागवत झा आजाद : माननीय सदस्य जिस तरह से मुझ पर दबाव डाल रहे हैं इतने जोर से अगर राज्य के मुख्य मंत्री पर दबाव डालें तो उससे अधिक लाभ होगा, क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र में है । वैसे मैं इनकी तरफ से वकालत करूंगा ।

श्री हरिकेश बहादुर : हम जिसको कहें उसको मुख्य मंत्री बना दीजिए ।

MR. SPEAKER: He is equally responsible.

श्री भागवत झा आजाद : आपने जो संरक्षण की बात कही है, इसके सम्बन्ध में भी राज्य सरकार को लिखेंगे ।

श्री बी० डी० सिंह : (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय ..... ।

श्री हरीश बहादुर : अध्यक्ष महोदय, गाडगिल जी आ गए हैं .... ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा है बैठे हैं आप उनके दर्शन कीजिए । जब तक आप तेल मालिश करके तैयार हो जाइए । यह बात ज्यादा जरूरी है । यह रोटी का मसला है ।

श्री हरिकेश बहादुर : उसको आप कम कर सकते हैं, वह आप के हाथ में है ।

श्री बी० डी० सिंह : अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया है ।

अध्यक्ष महोदय, वास्तव में आपके प्रति आभार व्यक्त किया जाना चाहिए कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को आज के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में स्वीकार किया । आज के प्रस्ताव में जहां तक गन्ना किसानों की समस्याओं का सम्बन्ध है, इसमें मुख्य रूप से तीन बातें आती हैं ।

एक तो यह है, किसानों को लाभकारी मूल्य देने की आवश्यकता है । उन्हें वह मिलना चाहिए । दूसरी बात यह है कि चीनी मिलें जो पिराई प्रारम्भ करती हैं, वह बहुत देर से प्रारम्भ करती हैं । तीसरी समस्या यह है कि चीनी मिलों द्वारा गन्ने के मूल्य का समय पर भुगतान न करना । उसमें एरियर बहुत ज्यादा पड़ा रहता है, दो-दो साल तक पड़ा रहता है । इसमें जहां तक पहली समस्या का प्रश्न है, मैं समझता हूं देश की आर्थिक व्यवस्था के समन्वित विकास के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि कृषि का विकास हो और यह तभी संभव होगा जब किसानों को उनकी मेहनत की अच्छी कीमत मिलेगी । हम देख रहे हैं कि कृषि उत्पादन करीब-करीब स्थिर सा हो गया है और घट भी रहा है । इसमें अनेक कारणों के साथ यह भी एक प्रमुख कारण है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता । आज इण्डस्ट्रीयल रिसेशन और इकानामी में रिसेशन की बात होती है । हम तो कहते हैं कि जब तक किसानों की और देश के 70 फीसदी लोगों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : लेवी की कीमत बढ़ाओ तब कहीं जा कर किसानों को पैसे दे सकते हैं ।

श्री बी० डी० सिंह : किसानों की क्रय शक्ति में अगर वृद्धि नहीं होगी तो यह स्थिति पैदा हो सकती है । किसान उत्पादन के लिए तो चीजें खरीदता है । हम देख रहे हैं कि उनकी कीमतें बराबर बढ़ती जा रही हैं ।

हमारे उत्तर प्रदेश में 1980 में बिजली 12 रुपये पर हार्स पावर थी,

[श्री बी० टी० सिंह]

उसके बाद नयी सरकार आई उसने 15 रुपए और साढ़े बाईस रुपये कर दी । इसी प्रकार खाद और डीजल के दाम भी बढ़े हैं । किसानों के उत्पादन में जो चीजें शामिल होती हैं उनकी कीमतें बराबर बढ़ती जा रही हैं। लेकिन, किसान जो चीजें उत्पन्न कर रहा है उसकी कीमतें तय करने में सरकार उसके साथ न्याय नहीं कर रही है।

अभी माननीय मंत्री जी ने गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने की आवश्यकता को स्वीकार किया है, लेकिन आप लाभकारी मूल्य देते नहीं । अक्सर, एक बात का कंफ्यूजन हो जाता है और कृषि मंत्री राव बीरेन्द्र सिंह जी भी कभी-कभी कर देते हैं। एक तो लाभकारी मूल्य और दूसरा समर्थन मूल्य 1 दोनों को आप स्पष्ट करेंगे कि आप लाभकारी मूल्य दे रहे हैं या समर्थन मूल्य दे रहे हैं और दोनों में क्या अंतर है। मैं समझता हुं कि न्यूनतम मूल्य की बात आप करते हैं और समर्थन मूल्य के बारें में आप सोचते हैं लेकिन लाभकारी मूल्य किसानों को नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष जी, प्रति वर्ष उत्पादन व्यय बढ़ता जा रहा है। पिछले साल हरियाणा की सरकार ने किसानों को गन्ने की कीमत 22 रुपये दी और इस साल घटाकर 20 रुपय कर दी इसी प्रकार पंजाब सरकार ने 23 रुपए से घटाकर 20 रुपए कर दी है। उत्पादन व्यय हर साल बराबर बढ़ता रहा है लेकिन गन्ने का दाम बढ़ाने की बजाय आप घटाते चले जा रहे हैं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : शक्कर की कीमत गिर रही है।

श्री बी०डी०सिंह: अभी 4 फरवरी के "फाइनेंशियल ऐक्सप्रैस" में निक्ला है: शायद यह केन्द्रीय सरकार प्रयास कर रही है। क्योंकि उसनें यह सामाचार है कि कृषि मंत्री जी अभी प्रयास कर रहे थे राज्य सरकारों को ऐप्रोच कर के कि गन्ने की कीमतें कम करें और अब यह जिम्मेदारी प्रधान मंत्री ने ले ली है। प्रधान मंत्री मुख्य मंत्रियों को परसुएड करेंगी कि गन्ने की कीमतें राज्य सरकारें कम करें ऐसा होंने जा रहा है। इसको आप स्पष्ट करें कि क्या सरकार का कोई प्रयास है कि गन्ने की कीमतें और कम की जायें?

दूसरी चीज गन्ने की पेराई देर से शुरू होना । मैं आंकड़े देख रहा था महाराष्ट्र में गन्ने की मिलें अक्तुबर से शुरू हो जाती है। लेकिन हमारें यहा नवम्बर या दिसम्बर में गन्ना मिलें शुरू होती हैं। मेरा निवेदन है कि हर तरह से प्रयास होना चाहिये कि अक्तुबर के प्रथम सप्ताह में क्रशिंग जरूर शुरू हो जाये क्योंकि उसमें कुछ गन्ना, जैसे रैटून क्रौप्स हैं, उनको पहले किया जा सकता है। इससे यह होगा कि खेत जब खाली हो जायेगा तो किसान दूसरी फसल ले सकेगा। और जो मिलें जानबूझ कर पेराई शुरू नहीं करती हैं यह उनका एक क्रिमिनल ऐक्ट है जिससे खेत खाली नहीं होता है और उससे उत्पादन में बाधा पड़ती है। इसलिये अक्तुबर के पहले सप्ताह से क्रशिंग जरूर शुरू हो जानी चाहिये। सम्भवत: होता यह है कि लेट शुरू होने से एक रश हो जाता है कि जिसका नतीजा यह होता है कि गन्ने की कीमत गिरती है और फिर किसान मजबूर हो कर दूसरी जगह कम दाम पर अपना गन्ना बेंचता है।

आजकल केन ग्लट की बात चल रही है। में जानना चाहता हुं कि क्या सरकार 5,10 साल के लिये देश में कोई क्रोप पौलिसी बनाने की बात सोचेगी ? क्योंकि

जिन चीजों की हमें आवश्यकता नहीं है वह ज्यादा हो रही हैं और जिनकी जरूरत है वह नहीं रहो रही हैं तो क्या कृषि अनुसंधान परिषद एक क्रौप पौलिसी तैयार करने की कोई योजना बनाना चाहती है जिससे यह समस्या उत्पन्न न हो?

तीसरी समस्या एरियर्स की है, वह बहुत बाकी हो जाते हैं। आपने कुछ फिगर्ज दीं, हमको जो जवाब दिया गया उसमें भी कहा गया है। 31 अगस्त 1982 तक जहां उत्तर प्रदेश में 40 करोड़ 50 लाख के लगभग एरियर्स 1981-82 के थे। यह हर साल बढ़ रहे हैं। यहां तक कि 1980-81 के 2 करोड़ 60 लाख एरियर्स थे, बिहार में 1981-82 के 13 करोड़ 80 लाख, महाराष्ट्र में 5 करोड़ के करीब एरियर्स हैं इस प्रकार बराबर एरियर्स चले आ रहे हैं। पिछली 21 फरवरी को एक अतारांक्ति प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ 73 लाख से अधिक का एरियर बकाया है और इसमें से जो सरकार की या कोआपरेटिव मिल हैं उन पर 14 करोड़ 57 लाख रु० एरियर्स का बकाया है।

अध्यक्ष महोदय: इस बात का तो जवाब हो गया है कोई नया पौइंट बनाईये।

श्री बी० डी० सिंह: जहां किसान को पैसा लेना होता है बैंक से या कोसआपरेटिव से तो उसे इंटरेस्ट देना होता है। लेकिन किसान को उसके बकाया पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जैसा हमारे पूर्व वक्ता महोद ने बताया जब एक्ट, 1966 के अनुच्छेद 3 3 क के अंदर यह व्यवस्था है कि उनको ब्याज दिया जाना चाहिये तो सरकार जोर क्यों नहीं देती कि उनको ब्याज का भुगतान किया जाये? उनके साथ इस प्रकार का अन्याय क्यों होता है?

अध्यक्ष महोदय: कोई नया प्वाइंट बनाइये, यह तो हो गया।

श्री बी० डी० सिंह इसको मैं बार-बार इसलिये कह रहा हूं कि इस पर मंत्री महोदया विशेष ध्यान द।

अक्सर यह बात आ रही है कि शुगर का ग्लट है यानी इसको मार्केट नहीं मिल रहा है, इसका ज्यादा उत्पादन हो गया है। इस पर भी कई कार्नर्स से इस इस प्रकार के सुझाव आ रहे हैं कि शुगर को डी-कन्ट्रोल किया जाये क्योंकि मार्केट प्राइस और फेयर प्राइस शाप के दामों में डिफरैंस नैरी हो गया है, बहुत कम हो गया है। में जानना चाहता हूं कि क्या इस दिशा में भी सरकार के विचाराधीन कोई बात है या नहीं?

श्री भागवत झा आजाद: अध्यक्ष महोदय, 3 प्रमुख प्रश्न चीनी उद्योग के सम्बन्ध में हैं जिनका विस्तार से मैंने जवाब दिया है। उन्हीं तीनों प्रश्नों को प्रोफेसर साहब ने भी उठाया है और हर बार इसमें कोई न कोई नया इम्फैसिस, नया जोर दिया जाता रहा है जो कि लाजमी भी है।

लाभकारी मूल्य के सम्बन्ध में, देर से पिराई और देर से भुगतान के सम्बन्ध में बात कही गई है। मैंने उत्तर दिया है, मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य मिल रहा है, समर्थन मूल्य नहीं। आपने ठीक कहा कि समर्थन मूल्य और लाभकारी मूल्य में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। समर्थन मूल्य में भी जब मूल्य निर्धारण होता है तो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन इन तमाम प्रश्नों को देखता है और हम जा स्टेंचूटरी मिनिमम प्राइस समर्थन मूल्य रखते हैं, उसमें भी एक एलीमेंट रहता है जिसमें लाभ का अर्थ रहता है। जो स्टैमटरी, जो मिनियम प्रयइस कमीशन कहता है, उसके अन्दर भी एक एलीमेंट आफ प्राफिट है, यह नहीं

[श्री भगवत झा आज़ाद]

कि समर्थन प्राइस वह प्राइस है जो किसान को हानि पहुंचाती है । क्योंकि यह प्राइस एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की सिफारिश पर तय किया जाता है इसलिए हम यह कहेंगे कि किसान को आज देश में गन्ने का लाभकारी मूल्य मिल रहा है, बल्कि कुछ राज्यों में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की सिफारिशों के बावजूद भी कीमतें ज्यादा स्तर पर निर्धारित की गई हैं, जहां की गई हैं वहां पर अधिक भुगतान भी देर से हो रहा है

यह देखना पड़ेगा कि जिन राज्यों ने एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन और राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के बावजूद भी अपने यहां प्राइस अधिक रखी है, उन राज्यों में आज एरियर अधिक हैं तुलना में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु वगैरह के । इसलिए उनको अभी यह मूल्य मिल रहा है । इनपुट्स की कीमतें बढ़ रही हैं । इन पर नजर प्राइस कमीशन कीमतें तय करते वक्त रखता है । यह सब एलीमेंट्स ले लिया जाता है, इसको हम भी स्वीकार करते हैं । स्वीकार भी करते हैं और देते भी हैं ।

प्रधान मंत्री ने ऐसी कोई बात नहीं कही । इसका सीधा सम्बन्ध एग्रीकल्चर और खाद्य मंत्री से है और खाद्य विभाग से है । आपने देश में क्राप पालिसी की बात कही । उसके सम्बन्ध में भी आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन डिटेल में देखता है, समय-समय पर भाव निर्धारण करता है, उस पर कैबिनेट विचार करती है और उस पर विचार होता है ।

आपने क्रापिंग पैटर्न की बात कही, मैं कहना चाहता हूं कि तमाम चीजों पर तो कृषि मंत्री बतायेंगे, मैं तो केन की बात कहूंगा कि केन का एरिया कम नहीं हुआ है । यह ऊपर ही जा रहा है । 1981–82, 1982–83 में करीब-करीब वही रहा है––केन का एरियर । जहां तक देर का प्रश्न है––मैंने उस का उत्तर दे दिया है । आप ने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया कि वहां पर अर्लियर है । ऐसी बात नहीं है । महाराष्ट्र का नार्मल पीरियड गन्ने की पिराई शुरू करने का 1 नवम्बर, से 7 नवम्बर है । 1982–83 में तो उन्होंने 22 अक्तूबर से ही शुरू कर दिया था ....

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : महाराष्ट्र में 18 महीने का गन्ना होता है, जो आप के यहां नहीं होता है ।

श्री राम विलास पासवान : हमारे यहां भी करा दीजिए ।

श्री भागवत झा आज़ाद : यह सप्लीमेण्ट्री हमारी तरफ से नहीं है, उनकी तरफ़ से है, मेम्बर-मेम्बर के बीच में है । श्री राम गोपालु रेड्डी इस सम्बन्ध में विशेष जानते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इन का सम्बन्ध केन-ग्रोअर्स से भी है और मिल वालों से भी है । ये मिलों के विषय में ज्यादा जानते हैं ।

श्री भागवत झा आज़ाद : शुगर की कीमतों के बारे में भी विशेष जानते हैं ।

मैं निवेदन कर रहा था कि जहां तक देर का प्रश्न है, पिछले साल उत्तर प्रदेश में विशेष कर इतना अधिक गन्ना पैदा हुआ कि हम को पिराई देर तक करनी पड़ी । उन को कहना पड़ा कि आप और देर तक काम करें, जुलाई, तथा मिड-अगस्त तक इस को ले गये । उसके बाद आफ़-सीज़न रिपेअर के लिए उन को समय चाहिए था,

इसलिए इस सीजन में कहीं पर दो सप्ताह और कहीं पर तीन सप्ताह देर से पिराई शुरू हुई है ? लेकिन इस से कोई हानि नहीं पहुंची है । जैसे पिछले वर्ष देर तक पिराई किया था तथा हरिकेश बहादुर जी ने भी अभी कहा है कि इस बार भी हम ख्याल रखें, गन्ना खेत में ही लगा न रह जाय, उस की पिराई हो, तो देर तक भी यह काम चलता रहेगा ।

जहां तक शुगर-डीकण्ट्रोल की बात है, मान्यवर, मैं समझ नहीं पाया, आप किस पक्ष में यह बात कह रहे हैं । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम ने समूचे हिन्दुस्तान के लिए यह निर्णय किया है कि लेवी शुगर की जो रिटेल प्राइस है उस को 3 रुपये 75 पैसे से आगे नहीं बढ़ने देंगे । इस के बाद जो 35 परसेण्ट फ्री-सेल की शुगर है, स्वाभाविक है उसकी कीमत कुछ बढ़ेगी, क्योंकि उनको जो इस में माइन्स 40 हर क्विंटल पर घाटा है, उस को कहां से पूरा करेंगे । इस में आप को कास्ट प्राइस का देखना चाहिए, कास्ट आफ़ प्रोडक्शन को देखना पड़ेगा । हो सकता है इस में आप और हम कुछ डिफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कास्ट प्रोडक्शन को नहीं देखेंगे, वायाबिलिटी को नहीं देखेंगे तो परिणाम यह होगा कि जो कीमत आप तय कर देंगे वह कीमत नहीं मिलेगी । आज उत्तर प्रदेश में और बिहार में जो एरियर जमा हो रहा है उस के पीछे यही कारण है । सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है कि इस का डीकण्ट्रोल किया जाय या कीमतों का अपना रास्ता लेने दिया जाय । कीमतों को वही रास्ता लेने देंगे जो 3 रुपये 75 पैसे सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में लेवी शुगर का है और उसी के अनुरूप ओपन-मार्केट में यह देखना होगा कि यह न काफ़ी ऊपर चली जाय और न काफ़ी नीचे चली जाय । सरकार की यही नीति है ।

अध्यक्ष महोदय : जो मोटा आदमी है, जिस को चीनी नहीं चाहिए, वह ज्यादा पैसा दे कर खाये ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सीदपुर): माननीय अध्यक्ष जी, निश्चय ही गन्ना एक समस्या बन कर रह गया है और मंत्री जी ने इस समस्या में अपना सारा अर्थ-शास्त्र हम लोगों को समझा दिया है .....

श्री भागवत झा आजाद : ऐसा मैंने नहीं किया है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सारे का सारा अर्थशास्त्र डिमाण्ड सप्लाई, भावों का ऊपर-नीचे होना, सब आपने समझा दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप सूरज को दीपक नहीं दिखला सकते हैं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : गन्ने का मूल्य निर्धारण, समय पर पिराई का न होना, किसानों का बकाया, कीमतों में फेर बदल, चीनी मिल मालिकों का किसान विरोधी रवैया-विगत तीन वर्षों में गन्ने के मामले में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जिस का कि वर्णन नहीं किया जा सकता ।

श्री प्यारेलाल पनिका (राबर्टसगंज): खेत में गन्ना जलाना पड़ा था, उस की चर्चा तो कर दें ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उस के बावजूद भी चीनी तीन रुपये किलो बिक रही थी ।

श्री प्यारेलाल पनिका : वह पहले का स्टाक था ।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : इन के टाइम में तो 14 रुपये किलो का भाव हो गया था।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, आज इतने रिकार्ड उत्पादन के बाद भी हम देख रहे हैं कि चीनी मिलों के बाहर एक मेला लगा हुआ है, तोल केन्द्रों पर भारी भीड़ जमा है। सरकार एक ओर कहती है कि खूब गन्ना बोया जाए, लेकिन दूसरी तरफ चीनी मिलों के माध्यम से इतनी बड़ी हेराफेरी की जा रही है, जो कि चीनी मिलों के सामने देखने से ही समझ में आ सकती है।

जैसा कि अभी मेरे पूर्ववक्ता ने कहा कि लकड़ी का भाव गन्ने के भाव की अपेक्षा ज्यादा है। कल ही हमने लकड़ी खरीदवाई थी, जो कि 80 रु० प्रति क्विंटल है, लेकिन गन्ने का मूल्य 20 रु० प्रति क्विंटल है और कहीं-कहीं पर 21 रु० भी है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : 20 रु० तो बहुत अच्छा भाव है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मान्यवर, इसमें बहुत सी समस्यायें हैं, जिनको मैं चाहता हूं कि बहुत संजीदगी के साथ लिया जाना चाहिए। इस वर्ष उत्तर प्रदेश में मिलें तीन सप्ताह देर से चली हैं, लेकिन मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि कहीं एक सप्ताह और कहीं पर दो सप्ताह देर से चली हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इससे इतना बड़ा फर्क पड़ा है कि किसानों की अर्थ-व्यवस्था काफी खराब हो गई है। उदाहरण के रूप में एक अखबार की कटिंग से पता चलता है कि मिलों ने पर्चियों की व्यवस्था चालू की है। इस अखबार में छपा है—

"चीनी मिलों के सूत्रों के अनुसार देश में चीनी का उत्पादन रिकार्ड होने से इसके बाजार भाव काफी कम हुए हैं और सहकारी समितियों द्वारा दी जाने वाली पर्चियां 150 रु० से 200 रु० में बिक रही हैं। इन्हीं सूत्रों ने बताया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में व्यापारियों ने गन्ने की पर्चियों की सट्टा बाजारी शुरू कर दी है। व्यापारी किसानों से बेनामी पर्चियां खरीदकर आपस में खरीदफरोक्त कर रहे हैं"। पर्चियों के इतने बड़े धन्धे का कारण एक ही है और वह है मिलों का देर से चलना। मान्यवर, यह तो एक छोटा सा प्वाइंट था, इस विषय पर तो हम बाद में आयेंगे। पांच-छः कठिनाइयां हैं, जिनके बारे में मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की ओर से आप उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, पंजाब सरकार को लिखें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केन्द्रीय सरकार संवैधानिक न्यूनतम मूल्य की बात करती है। आपने अपने व्यान में भी संवैधानिक न्यूनतम मूल्य की बात की है। 1980 में इंडियान मिल्स एसोसिएशन ने 15 रु० प्रति क्विंटल गन्ने के मूल्य की सिफारिश की थी। प्रधान मंत्री जी ने 1980 में दो जगहों पर भाषण दिए—एक पंजाब में और दूसरा बिहार में—वहां पर उन्होंने कहा था कि न्यूनतम प्राइस 16 रु० प्रति क्विंटल होनी चाहिए।

15.49 hrs.

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*].

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मिल संघ ने भी केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की थी कि गन्ने का न्यूनतम मूल्य बहुत कम है। इसे कम से कम 16 से 17 रु० के आसपास होना चाहिए और राज्य सरकारें भी केन्द्रीय सरकार से बराबर

मांग करती आ रही हैं कि इसका मूल्य 20 रु० के आसापास बढ़ाया जाए। मैं सरकार से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार का इसके बारे में क्या कार्यक्रम है? जैसा कि आपने अपने व्यान में कहा है कि चालू वर्ष में भी गन्ना उत्पादकों को गन्ने के घोषित सांविधिक न्यूनतम मूल्य, जो कि 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर 13 रु० प्रति क्विंटल है, की अपेक्षा ऊंचा मूल्य मिल रहा है। मैं यह आपसे पूछना चाहता हूं। एक मेरा सवाल है कि आप 13 रु० सांविधिक मूल्य कह रहे हैं जबकि आज से दो साल पहले प्रधान मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 16 रु० न्यूनतम प्राइस होगी। दूसरे मैंने अभी बताया कि राज्य सरकारें 15, 16, 18 और 23 रुपये क्विंटल तक न्यूनतम मूल्य देने को कह रही हैं। आपका न्यूनतम मूल्य 13 रुपये है। आप स्पष्ट उत्तर दें कि आप यह मूल्य आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या साल के बाद यही मूल्य रहेगा या क्या आगे आप इसको घटायेंगे? क्या करेंगे आप?

मैं आपके सामने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसमें इस मूल्य को घटा देने की बात कही गयी है। मान्यवर, एक भारतीय गन्ना विकास परिषद् है। उसने गन्ने और उसके उत्पादकों के मामले में स्थायित्व लाने के उद्देश्य से अपने कुछ सुझाव कुछ दिन पहले दिये थे। हमें इन सुझावों को देख कर थी काफी चिंता है। मैं इस बारे में, बहुत अच्छे ढ़ग से आप से जानना चाहूंगा। यदि अब आप इस संबंध में आज न बता सकें तो बाद में अपने मंत्रालय के द्वारा हमको जानकारी भेज दें।

राष्ट्रीय गन्ना व चीनी अधिकरण की स्थापना करने की भारतीय कृषि गन्ना विकास परिषद् ने आपके सामने सिफारिश की है। उसका कहना है कि "चीनी, गुड़, खांडसारी के लिए गन्ने की पिराई होती है, उसके भंडारण, विपणन और कराधान आदि पर हम को गंभीरता पूर्वक विचार करना है। इस समय गन्ने के उत्पादन की जो स्थिति है, उसमें यह आवश्यक हो गया है।"

इसके लिए उन्होंने कहा है कि यह विपणन, कराधान, भंडारण आदि के लिए बहुत जरूरी है कि गन्ने के लिए, जैसा कि अभी हमारे एक मित्र ने कहा था कि उसमें अनुसंधान कराने की जरूरत है कि गन्ने में से कैसे चीनी ज्यादा निकले उसकी किस्मों आदि इन सारी बातों, को देखते हुए भारतीय कृषि गन्ना विकास परिषद् ने सुझाव दिया था कि एक अधिकरण की स्थापना की जाए। आप हमें यह बताएं कि क्या इस प्रकार के किसी अधिकरण की स्थापना करने का सरकार का इरादा है? यदि सरकार इस प्रकार का अधिकाण स्थापित करने जा रही है तो उसका क्या स्वरूप होगा?

मान्यवर, गत वर्ष चीनी उद्योग में, आपके अर्थशास्त्र के अनुसार, 550 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ ने गन्ने और चीनी की सफुया पर एक दूसरा अनुसंधान कराया। मैंने उसकी रिपोर्ट देखी है। उसमें उन्होंने लिखा है, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि उन्होंने जो सर्वेक्षण कराया है उस सर्वेक्षण के यह सरिणाम आये हैं कि मूल्य बढ़ने से गन्ने का उत्पादन बढ़ गया है। यानी जो आपने न्यूनतम प्राइस निर्धारित की उस से गन्ने का उत्पादन बढ़ गया। सरकार द्वारा चीनी का कोटा बढ़ाने से चीनी का दाम घट गया है। यह आपके भारतीय वाणिज्य, उद्योग महासंघ के सर्वेक्षण का रिजल्ट है। उसके

[श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री]

रिजल्ट के अनुसार गन्ने के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

अधिकांश राज्य सरकारें केन्द्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से ज्यादा मूल्य गन्ने का दे रही है।यह इससे कहा गया है कि किसानों का भुगतान निर्धारित मूल्य पर किया जाना चाहिए और अतिरिक्त रुपया उसका बैंकों में जमा कर दिया जाना चाहिए। हमारे पास इसकी कटिंग है। यदि आप चाहेंगे तो इसको मैं आपको दे दूंगा। इससे जो हमेंने समझा है, केन्द्र न्यूनतम मूल्य निर्धारित करता है : जो कि 13 रुपये है। उत्तर प्रदेश ,पंजाब और हरियाणा सरकारों ने 18 से ले कर 21 रुपये तक मूल्य निर्धारित किया है। अब 13 रुपये और 21 रुपये के बीच का मूल्य बैंकों में जमा कर दिया जाए। मैं नहीं समझता कि इस कार्यवाही का क्या परिणाम होगा ? इसलिए हम को चिंता है। इसलिए इसे हमने रखा है । सरकार इस पर विचार करने का आश्वासन भी दे चुकी है । भारतीय वाणिज्य, उद्योग महासंघ के इस अनुसंधान पर मैं जानना चाहता हूं कि इस पर आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

अंत में थे दो-चार प्रश्न उत्तर प्रदेश बिहार और पंजाब के किसानों की कठिनाइयों के संबंध में पूछना चाहूंगा कि सरकार इस संबंध में कार्यवाही करे।

जैसा कि अभी मैंने पहले बताया है कि करोड़ों रुपये की सट्टेबाजी केवल पर्ची पर हो गई है। यह अजीब सी स्थिति है, इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

किसान पर जो लगान बकाया है उसकी वसूली की जा रही है। उनकी कुड़की, नीलामी और गिरफ्तारी की जा रही है। किसानों ने अपना गन्ना मिलों को भेज दिया है और मिलों पर उनका रुपया बकाया है। अच्छा हो यदि उनकी कुड़कियां और नीलामियां न करके मिलों से वह पैसा ले लिया जाए जो किसानों का जमा है। इस संबंध में बिजनौर और मथुरा की सूचनाएं हमें मिली हैं जहां इस प्रकार की सख्ती की जा रही है।

किसान गन्ने की बुआई के लिए खाद लेता है। यह खाद मिलों के माध्यम से कर्ज के रूप में लिया जाता है। किसान गन्ना बेचता है जनवरी-फरवरी में लेकिन इस खाद पर इंटरेस्ट लगता है जून तक लेता है अक्तूबर-नवंबर में और जून तक का ब्याज वसूल किया जाता है। मैं समझता हूं कि यह किसान के साथ सरासर अन्याय है। इसके बारे में काफी मांग की जा रही है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं चाहता हूं कि इस ओर सरकार ध्यान दे।

इसके अलावा जैसा कि हमारे मित्रों ने बतया है कि गन्ने का जो बकाया रहता है उस पर ब्याज नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय बड़ किसान हैं, उन्होंने कहा कि पहले मूल मिल जाय, ब्याज की बात बाद में की जाए मैं समझता हूं कि यह किसान के साथ अन्यायपूर्ण प्रवृत्ति है। इसके लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिएं। किसान का रुपया बकाया रहता है तो किसान को ब्याज देना पड़ना है, उसको तरह-तरह की यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं, लेकिन जब किसान का बकाया रहता है तो उसको सुनने वाला कोई नहीं है।

कल इसी संबंध में हम लोगसभा से वाक-आउट कर रहे थे तो यहां पर यह सवाल उत्पन्न हुआ जो बड़े खेद का विषय है कि एक ऊंचे व्यक्ति ने यह कहा कि यदि किसान की बात यहां की जाएगी तो किसान का नकसान होगा। मेरी समझ

में नहीं आ रहा है कि किसान की बात यहां करने पर किसान का क्या नुकसान होगा ?

श्री हरिकेश बहादुर : किसने कहा था ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : माननीय स्पीकर साहब ने कहा था ।

श्री हरिकेश बहादुर : उनके कहने का कुछ और मतलब होगा ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हो सकता है कुछ और मतलब रहा हो, लेकिन हमने यही समझा था ।

अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं । किसान गन्ना बोता है मिल चीनी बनाती हैं लेकिन किसान को जब कभी शादी-ब्याह के मौके पर चीनी की जरूरत होती है तो उसको बाजार मूल्य पर खरीदनी पड़ती है । मेरा निवेदन है कि किसान को चीनी सस्ते दाम पर दी जानी चाहिए ।

इसके अलावा एक और बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । उत्तरप्रदेश में मेरी कांस्टीट्वसी में मैंने देखा कि एक किसान को 40 क्विंटल की पर्ची मिली । किसान ट्रक पर गन्ना लदवाकर मिल पहुंचा ।

इत्तफाक से वह गन्ना 42 क्विंटल हो गया तो 2 (दो) क्विंटल गन्ना उसका वहां नहीं लिया जाता है बल्कि उसको वापिस किया जाता है । तीन-तीन चार-चार दिन तक किसान वहां बैठा रहता है मिल के सामने और वह दो क्विंटल अतिरिक्त गन्ना उसको वापिस ले जाना पड़ता है । उसको डबल किराया देना पड़ता है और तोल में गड़बड़ी की जाती है । मैंने जो कुछ पूछ है, उसका विवरण अवश्य दें ।

श्री भागवत झा आजाद : सभापति महोदय, इनके प्रमुख रूप से तीन प्रश्न हैं जिनका मैंने उत्तर दे दिया और साथ में दो प्रश्न उठाए हैं । लाभकारी मूल्य, देर से पिराई, भुगतान देर से, कीमतों में फेर-बदल और मिलों का किसान विरोधी रवैया ।

मिल के सामने आज भारी भीड़ है, यह सही बात है । इसका कारण है कि जनवरी, फरवरी और मार्च ऐसे महीने हैं जहां पर अधिक से अधिक पिराई होती है । किसान भी अधिक गन्ना ले जाते हैं और मिल भी चाहती है कि पिराई हो जाए, । इसलिए उसके सामने भीड़ रहती है । प्रश्न यह है कि वहां देने वाले अधिक आते हैं और मिल उसे लेती नहीं है । जहां ऐसा नहीं हो सकता है वहां पर हम लोग यह कोशिश करते हैं कि राज्य सरकार को लिखते हैं । उनका एक केन कमिश्नर है,.....

वह इस संबंध में कड़ी कार्यवाही करे । ऐसी सूचना के लिए माननीय सदस्य या तो सीधे राज्य सरकार को लिखे या हम भी इस संबंध में जांच कर सकते हैं । लेकिन यह स्पष्ट है कि भीड़ होती है । ऐसे समय भीड़ होगी ही । लेकिन भीड़ होने के बावजूद भी मिल के लिए सबको लेना आवश्यक है और उसे लेना ही चाहिए ।

16.00 hrs.

आपने लकड़ी, गन्ना और भूस की बात की है । आप समझते हैं कि अगर कहीं पर 60 रुपये है तो सीधा डिमान्ड और सप्लाई का प्रश्न है । इसकी तुलना दोनों की एक साथ नहीं हो सकती है । इसकी एक बात यह है कि अगर सीजन देर तक चलेगा तो सीजन समाप्त हो जाना चाहिए । कभी-कभी तो अप्रैल, मई

[श्री भगवत झा आजाद]

और जून तक भी चलता है। पिछली बार जुलाई नहीं बल्कि मिड-अगस्त तक चला। गन्ना काफी होता है इसलिए उधर दो-तीन वीक की देरी हो जाती है क्योंकि मैंने बताया कि तीन महीने का समय देना पड़ता है। मैं यह कह रहा हूं कि अगर गन्ना अधिक हुआ और देर हो गई तो थोड़ी देर हो जाएगी वरना और कोई कारण नहीं है।

आपने मूल्य के बारे में कहा। लाभकारी मूल्य के संबंध में खासतौर से आपने पूछा है। इस संबंध में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने विकास परिषद् की बात मानूगा और न मिल एसोसिएशन की बात मानूगा सिर्फ एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन जो इस विषय का विशेषज्ञ है और जिसके सामने सबको अपनी बात कहने का हक है और (इस-मा" तथा विकास परिज़द वहां जाए और वहां कहें कि हमको इतनी कीमत मिलनी चाहिए। हम न तो यह कहेंगे कि घटायेंगे या बढ़ायेंगे, हम तो इस संबंध में एग्रीकल्लचरल प्राइस कमीशन की जो रिपोर्ट आयेगी, वह अभी विचार कर रहा है अगले मूल्य के लिए, उसकी राय मानेंगे और विचार करेंगे। इसलिए कमी-बेशी की बात हम अपने मन से नहीं करेंगे। विकास पिरषद् यह कहे वह अथारिटी बन जाए लेकिन हम तो यह देखेंगे कि उद्योग चीनी वाला भी है और भी उद्योग हैं, किसी और उद्योग में आथारिटी का प्रश्न है? आपने कहा कि आठ रुपया जमा कर दो, क्यों जोर देते हैं? उनको जो बोलना होता है, वह बोलते हैं। उसमें जो आवश्यक होगा और वह आवश्यक मेरी नजर में चीनी उद्योग को सम्पूर्ण रूप में देखने के साथ अर्थात् कीमत जिससे कि उनको लाभकारी मूल्य मिले केन ग्रोअर्स को अर्थात् जो फश करते हैं वह वायेबल हो और कंज्यूमर को सस्ते दाम पर जो निर्णय किया रु० 3.75 का उस पर मिले यह विचार किया जाए। यह भी महत्वपूर्ण है कि किसान अगर गन्ना नहीं बोता है और तिलहन बोता है तो क्या रिटर्न उसको मिलता है। यह भी सोचने की बात है। इन सारी बातों पर विचार ऐग्रीकल्चर प्राइस कमीशन करता है और हम उसकी सिफारिश को मानेंगे और बाकी सिफारिशों को नहीं मानेंगे।

आपने जो बाकी बातें कहीं परची के बारे में निश्चय ही में आपका सुझाव मानता हूं बकाया का तो बड़ा प्रश्न है, इस पर तो लिखूंगा ही। और आपने कहा सूद के बारे में कि नियम के अनुसार दिया जाय। मैं राज्य सरकार को लिखुंगा कि नियम के अन्तर्गत जो देय है वह मिले और सूद भी उमको दिलायें। और चीनी की कीमत 3 रु० 75 पैसे यह लैवी प्राइस है। कौस्ट प्राइस पर यह नहीं है। और जो आपने कहा छोटी बात है, लेकिन है बड़ी कि किसान लाया 42 टन और आपने वापस कर दिया 2 टन उसको यह बात नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में मैं राज्य सरकार को लिखूंगा!

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद): माननीय मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया केन ग्रोवर्स चाहे उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडू, गुजरात, पंजाब, हरियाणा महाराष्ट्र कहीं के हों इनके सामने बहुत ही समस्या है। कारण यह है कि जो फसल है वह अबन्डेंट है, और दूसरे लैक आफ प्लानिंग है। एक साइक्लिक आर्डर बन गया है जिससे उसकी पुनरावृत्ति होती है, और सरकार की भी कोई साफ पौलिसी नहीं है। इसी वजह से रेड्डी साहब कह रहे थे महाराष्ट्र के बारे में कि वहां 60, 70 परसेंट पिराई होती है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में 20, 25 परसेंट तक

नहीं पहुंचती है, और पंजाब में 9 परसेंट ही रही। कारण यह है कि सरकार की नीतियां गन्ने के बारे में जो हैं उनमें खामी है।

जहां तक रेम्यूनरेटिव प्राइस की बात है मंत्री जी ने कहा कि वह ए. पी. सी. की बात को मानेंगे। मैं इसी संदर्भ में जानना चाहता हूं क्या आपने उसकी बात को माना? ए. पी. सी. ने रिकमेन्ड किया है मिनिमम प्राइस 15 रु० 50 पैसे, लेकिन आपने नहीं माना। अब आप कहते हैं कि अब जो सिफारिश आयेगी उसको मानेंगे में उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी इसको मानेंगे।

जहां तक स्टेट्यूटरी प्राइस की बात है पिछली बार 13 रु० 25 पैसे थी उसमें भी 25 पैसे कम कर दिये। स्वर्गीय रफी अहमद किदवई ने एक फोरमूला दिया था कि जितने रुपये मन चीनी उतने आने मन गन्ना। यह फौरमूला उन्होंने तब दिया था जब कीमत स्थिर थीं। उस समय यूरिया, बिजली, डीजल की कीमत कम थीं, 1961 में फरगूसन ट्रैक्टर 9,000 रु० का मिलता था जो आज बढ़ कर 1 लाख रु० का हो गया है। अभी 55 रु० कट्टा खाद का था जो अब 105 रु० पर चला गया, बिजली की दर भी बढ़ गई। तो जब कीमत निर्धारित करने का प्रश्न है

16.08 hrs.

MR. SPEAKER *in the Chair.*

तो अनुपात में यह करना होगा कि किसान की कितनी औसतन लागत आती है उसको ध्यान में रखा जाया। लेकिन आपने कोई फौरमूला नहीं बनाया। आप ए. पी. सी. की बात कहते हैं, यदि माननीय रफी अहमद किदवई के फौरमूले को ही मान लिया जाय तो भी गन्ने की कीमत 25, 26 रु० प्रति क्विंटल बैठती है। आज यह लागू नहीं होता है। खेत में उत्पादन होने वाली चीजों को तुलना करेंगे फैक्ट्री में पैदा होने वाली चीजों से तो दोनों में कहीं कोई संतुलन नहीं है जब कि दोनों में संतुलन होना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता किस आधार पर यह पॉलिसी निर्धारित करते हैं।

यह तो मैंने प्राइस वाली बात कही। मेरे एक मित्र अभी पर्चो वाली बात बता रहे थे। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जो पर्चियां कट रही हैं उस में 18+3 लिखते हैं, या हगबड़ चल रही है। उस 3 का कोई भुगतान नहीं है। जो केन्द्रीय सरकार दे रही है, उसमें भी 50 पैसे किसी बात की कटौती की जा रही है। कोई किसी बात की कटौती कह रहा है और कोई एशियन गेम 82 की कटौती कह रहा है। यह किसानों के साथ होने वाली आम बात हैं जिनको किसान रोज फेस कर रहा है।

जहां तक भुगतान की बात है श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे मंत्री हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मंत्री महोदय को भी लिखा कि गन्ना मिल एसोसिएशन चाह रही है कि गन्ने की कीमत घटाई जाए। यह अखबारों में भी आया है। अगर गन्ने की कीमतें नहीं घटाई जायगी तो एरियर्स और भी रोकेंगे। वह बात साफ है और जो फिगर्स आप दे रहे हैं वह थे मानता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि पिछले 40 करोड़ रुपये और मान लीजिए 14 परसेंट सूद है तो 50 करोड़ रुपया हो गया। 25 करोड़ का भुगतान हो चुका है बाकी 25 करोड़ पिछले साल का रह गया और 25 करोड़ इस साल का। अगर यह सब जोड़ लिया जायेगा तो एक बहुत बड़ी रकम फिर बन जायेगी।

जैसे अभी माननीय मंत्री कह रहे थे कि यह महीना पिराई का है इसमें

[श्री राजेश कुमार सिंह]

बड़ा रश है। उसके बाद कुछ एरियर और बढ़ जायेगा। जब पिराई समाप्त हो जायेगी तो किसान भी खाली हाथ रह जायेगा। अगले साल फिर आप यही कहेंगे कि उनके एरियर का भुगतान किया जायेगा।

जो भुगतान किया गया है, उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं, मंत्री महोदय को शायद थोड़ा बहुत मालूमात होगी, जहां भी पैसा देते हैं तो उतना ही भुगतान किया जाता है कि वह सोसाइटी को दे दें। सोसाइटी सचिव किसान को वहीं पकड़ लेता है कि हमारा पैसा दे दो। मैं स्पैसिफिकली यह कहता हूं कि हालत यह हो गई है कि उत्तर प्रदेश में जो भुगतान हो रहा है वह उतना ही करा रहे हैं कि जितना सोसाइटी को देना है। इससे किसानों को कोई फायदा होने वाली बात नहीं है। यह महत्वपूर्ण विषय है, मैं माननीय मंत्री जी से उम्मीद करूंगा कि एक तो एरियर वाला प्रश्न है, अगर किसान को पैसा नहीं मिलेगा तो सही मायनों में किसान के दिमाग पर इसका असर होगा। वह चारों तरफ से डूबा हुआ है।

ढुलाई के मामले में केन्द्र ने 2 रुपये किये, पिछले साल एक रुपया थी, अब डेढ़ रुपया कर दिया गया। जब भुगतान लिया जाता है तो डाकघर में जमा कराने की बात, कृषि निवेश में जमा कराने की बात कही जाती है तब मिल गन्ना लेगा। जब आप पैसे का भुगतान पायेंगे तो भुगतान के लिए डाकखाने में जमा कराना होगा। यह तो पहले करवा लेते हैं, लेकिन उसको एरियर सही समय पर नहीं मिलता है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि किसान को अविलम्ब राहत देने के लिए एक सही पालिसी निर्धारित की जाये।

माननीय मंत्री ने उत्तर दिया था, अध्यक्ष महोदय ने भी उस संबंध में पूछा था, मैं पूछना चाहता हूं कि 21 तारीख में एक उत्तर में आपने बताया कि जो फैशर हैं, उसके लिए वहां 7,7 रुपये क्विंटल में उन्होंने गन्ना खरीदा। एक नियम उन्होंने उल्लेख किया है, प्रश्न है 21 फरवरी का अनस्टार्ड न० 9। इस में पूछा गया था कि गन्ना उत्पादक राज्यों में निजी क्षेत्रों के मालिक सरकार को आधी दर पर किसान से गन्ना खरीद रहे हैं? इस संबंध में इन्होंने उत्तर दिया है। मैं कहा वहां बेचता हूं कि अधिकांश गन्ना किसान को बेचना पड़ता है और वह जो चाहते हैं, मूल्य देते हैं। आधे से भी कम देते हैं। आप को नियम की बात करते हैं, मैं नियम के संबंध में थोड़ी सी बात और करना चाहूंगा कि सरकार इस संबंध में क्या कर रही है, क्योंकि यह सारे किसानों के हित की बात है। एक तिहाई आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मिलों को जाता है।

आपने कहा कि केन्द्रीय सरकार गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 के खंड 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार की अनुमति से राज्य सरकार, खण्डसारी चीनी के उत्पादकों द्वारा अदा की जाने वाली न्यूनतम मूल्य राशि निर्धारित कर सकती है।

पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर जितने सूबे हैं, जहां गन्ना पैदा करते हैं, उसमें आन्ध्र-प्रदेश ही एक प्रदेश है जिसने मूल्य निर्धारण के लिए आपको सिफारिश मानी है।

किसी भी प्रदेश के बारें में आप पूछेंगे तो यही कहा जायगा कि यह हमारा विषय नहीं है, राज्य सरकार का विषय है। मेरा निवेदन यह है कि इस नियम में कोई सशोधन लाने के बारें में क्या सरकार विचार करेगी तथा जब मूल्य निर्धारित किया जाय तो कोई मूल्य नीति साफ शब्दों में सरकार बतलायेगी ?

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष जी, पहला प्रश्न उत्पादन से सबंध रखता है। इस सबध में मैं यही कहना चाहता हू कि यदि किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिलता तो जो उत्पादन मैंने अभी बतलाया है, पिछके दो वर्षों की मैंने फिगर्स दी हैं, इस में कोई कमी नहीं हुई है। चुंकि उन को लाभकारी मूल्य मिल रहा है, इसी लिये उत्पादन हुआ है।

जहां तक आप ने ए.पी०सी० की कीमतों की बात कही है—मेरे पास 1967-68 से 1982-83 तक के हर वर्ष के आंकड़े हैं। उन्होंने जो सिफारिश की, केवल 4 वर्षों को छोड़ कर सभी वर्षों में भारत सरकार ने ए०पी०सी० की सिफारिशों को माना है तथा जिन वर्षों में नहीं माना है उस में जब 9 रुपये 50 पैसे था तो उस को 8 रुपये 50 पसे किया। इस वर्ष भी हम ने 13 रुपये रखा है, लेकिन जहां गन्ना 16 किलोमिटर के रेडियस से लाते हैं उन के लिये 2 रुपये और और दिये जाने की सिफारिश की है, यानी हम ने 15 रुपये को स्वीकार नहीं किया है।

इस लिये हम यह कहना चाहते हैं कि जब ए०पी० सी० की सिफारिश आती है तो उस पर साधारणतया कैबिनेट विचार कर के निर्णय लेती है। जैसा मैंने बतलाया है इतने वर्षों के आंकड़ों में तीन-चार वर्षों को छोड़ कर हर वर्ष कैबिनेट विचार करने के बाद निर्णय करती है। इस लिये इस में सशोधन का का प्रश्न बहुत कम उठता है। हमारे पास जो आंकड़े हैं उन के अनुसार कुछ वर्षों में संशोधन हुआ है, लेकिन बाकी वर्षों में नहीं हुआ है ।

आप इस बात का भी ख्याल रखिये—अगर हम एक रुपये बढ़ाते हैं सांविधिक कीमत में, तो 15 पैसे लेवी शुगर के दाम बाज़ार में बढ़ जायेंगे। इस लिये निर्णय करते समय हमारे लिये आवश्यक हो जाता है कि म गन्ने की कीमत को भी देखें, उत्पादन की कीमत को भी देखे तथा उपभोक्ता को चीनी जिस भाव पर दी जायगी उस को भी देखें । साथ ही साथ यह भी देखे —जैसा आप बार-बार हैं और जो आप सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रह रहे हैं कि उन को एरिअर्स का भुगतान नहीं मिल रहा है---वह उन को मिले।

एरियर्स का जमा आज महाराष्ट्र गुजरात तामिलनाडू और केन्द्रीय सरकार में कम है। इस लिये कम है कि हम उन को एडवांस कीमत देते हैं। उत्पादन का अंत हो जाने पर रिकवरी के अनुसार, भार्गव

[श्री भगवत झा आजाद]

फामूंले के अतर्गत उस को बाट लेते हैं। लेकिन जिन राज्यों मैं यह भुगतान अधिक बाकी है, वह इस लिये हैं कि वे एक ही बार लगभग कीमत का निर्णय कर लेते हैं, वैज्ञानिक आधायर को नहीं मानते हैं । हम प्रयत्न करेंगे-उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों से आग्रह करेंगे कि वे भी इसी लाइन में आये। इस से किसानों को शिकायत भी नहीं रहेगी, साथ ही जो जमा हो रहा है, वह भी नहीं हो पायेगा। इस लिये आवश्यक है कि राज्य सरकारें भी इस वैज्ञानिक आधार को गानें और उस के अनुसार काम करें।

आप ने डाकघर कृषि निवेश की बात कही है—मैं इस के संबंध में राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगा और पता लगाऊंगा कि क्या बात है।

आप ने खाण्डसारी और गुड़ का उल्लेख किया है-इस संबंध में हमारा कोई विचार नहीं है। यह सारा विषय राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है, उन के अधिकार क्षेत्र में है । राजेश जी जिस अधिकारपूर्वक मुझ पर ज़ोर डाल रहे हैं, उसी प्रकार अधिकारपूर्वक अपनी राज्य सरकार पर भी जोर डालें कि वे कीमतों का निर्णय इस कार करें जैसे आंध्र प्रदेश ने किया है। यही मेरा आप से अनुरोध है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: He wants a good pressure on the State Government through you.

श्री भगवत झा आजाद: मैं स्वीगार करता हुं-राजेश जी के प्रेशर को मान कर मैं राज्य सरकार को लिखूंगा।

श्री राजेश कुमार सिंह: गुड़ के अंतर्राज्यीय व्यापार के लिये क्या आप छूट देंगे।

श्री भगवत झा आजाद: यह राज्य सरकार कर सकती है।

16.20 hrs.

RE: INDIAN TELEGRAPH (THIRD AMENDMENT) RULES—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Paswan, regarding your point, Mr. Gadgil is here.

SHRI RAM VILAS PASWAN (Hajipur): I pointed out. . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: He knows, he has been called here.

श्री राम विलास पासवान : मेरा एक ही आग्रह है—जब पार्लियामेंट सेशन में थी तो यह घोषणा यहां से की जानी चाहिए थी। चेअर का हमेशा से यह रूल रहा है कि जब पार्लियामेंट सेशन में है या पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है तो जो भी घोषणा की जाय वह पार्लियामट में आ कर की जाय। आप ने यह घोषणा एक्जिक्यूटिव आर्डर से पार्लियामेंट के बाहर ता0 21 को की है—जिस पर हमें आपत्ति है । आप यदि पार्लियामेंट के सामने आ कर घोषणा करते, रेट बढ़ाने के लिए हम का बतलाते, तो हम इस समय विरोध नहीं करते । हम लोग तो उसी समय आपका विरोध करते । लेकिन आपने तो एक दम झटके में कर दिया। आगे का लिस्ट पीछे कर दिया और पीछे का लिस्ट आगे कर दिया और चुपचाप बोल कर निकल गए। यह संसद् की डिगनिटी के खिलाफ है । यह हम लोगों का प्रिवलैज है और मेम्बर्स के प्रवलेज का हनन है ।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर भी तो नहीं हैं, हमें खुशी होगी यदि इनको कबिनेट रैंक का मिनिस्टर बना दिया जाए।

There should be no taxation without discussion.